


243

119

प्रा.सि.सं/2017/4766

श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वाल्थर कोर्ट कैम्प रोवा म०५०



सुमेश्वर कर्मकार पिता महावली उम्र 90 साल निवासी डूडा उर्फ कमडिया

तहसील नईगढी जिला रीवा म०५० निगरानी कर्ता

बनाम

1- लक्ष्मी सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह उम्र 45 साल पेशा- किसान

2- श्यामबहादुर सिंह पिता बृजनन्दन सिंह उम्र 50 साल

निवासी डूडा उर्फ कमडिया तहसील नईगढी जिला रीवा म०५०

... गैर निगरानीकार गण

आवेदन पत्र बावत नायब तहसीलदार महोदय तह०

नईगढी के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 2ए 12 / 15-16

निर्णय दिनांक 25.10.07 निरस्त किए जाने बावत ।

आवेदन पत्र बावत धारा 50 म०५० भू.राजस्व संहिता 1959 ई०

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नहै

1- यहाँक भूमि नं. 426/2 रकबा 0.25 है० ग्राम डूडा उर्फ कमडिया पटवारी हल्का पुरैनी वृत्त खर्चा तहसील नईगढी जिला रीवामे स्थित है। आवेदक / निगरानी कर्ता उक्त भूमि का स्वत्व स्वामित्व आधिपत्यधारी है । एवं रिक्त पडो भूमि मे 5 पेड आम, 2 पेड आमला, 2 पेड नीम, 3 पेड अमरुद एवं 1 पेड कटहल का लगा है ।

2- यहाँक राजस्व निरीक्षक खर्चा द्वारा चौहद्दी कृषको को सूचना नही दी गई, तथा 7 बजे रात मे सीमांकन किया गया है, तथा 15 वर्ष पूर्व

...

(Signature)
सुमेश्वर कर्मकार

श्री कमलेश्वर
श्री हारावेश 29.11.17
(m)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...II/दिनांक...12.01.17/147.66..... जिला...रीवा

सुमेश्वर साकेत विरुद्ध लक्ष्मी सिंह

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...कमलेश्वर तिवारी...अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील...न.इ.ग.दी...के प्रकरण क्रमांक...02/3512/2015-2016...में पारित आदेश दिनांक...25.10.2017...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर...रीवा...के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक...28.3.19...को कलेक्टर...रीवा...के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

AS

24/1/19